Title: Regarding setting up of a non-lapsable Special Railway Safety Fund for Indian Railways.

12.03 hrs.

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को याद होगा कि रेलों पर यात्रा संबंधी संरक्षा लगातार चिंता का एक विषय रहा है और विभिन्न मंचों पर इस संबंध में विचार-विमर्श होता रहा है। रेलवे संरक्षा संबंधी मुद्दों पर विचार करने के लिए विगत में अनेक उच्च स्तरीय जांच समितियां, यथा, शाह नवाज समिति (1954), कुंजरु समिति (1962), वांचू समिति (1968), सीकरी समिति (1078) गठित की गई थीं। हाल ही में, न्यायमूर्ति श्री एच.आर. खन्ना की अध्यक्षता में रेलवे संरक्षा पुनरीक्षा समिति (1998) द्वारा भी इस संबंध में जांच की गई है। रेलवे संरक्षा पुनरीक्षा समिति ने अगस्त, 1999 में अपनी अंतरिम रिपोर्ट और फरवरी, 2001 में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें विभिन्न तकनीकी उपायों के साथ-साथ यह सिफारिश की गई थी कि यात्रियों की संरक्षा के लिए केन्द्र सरकार द्वारा रेलों को एक बारगी अनुदान उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि 5 से 7 वर्ा की निर्धारित सीमय-सीमा में महत्वपूर्ण संरक्षा उपस्करों के नवीकरण के बकाया कार्यों को पूरा किया जा सके। समिति ने यह सिफारिश भी की थी कि गतायु परिसंपत्तियों के बदलाव संबंधी बकाया कार्यों को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा रेलों को 15,000 करोड़ रुपए का एक बारगी अनुदान दिया जाए। मौजूदा मूल्य स्तर पर इन गतायु परिसंपत्तियों के बदलाव के लिए पुनः आकलन करने पर अब 17,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है।

सरकार इस मुद्दे से अवगत रही है और मुझे सदन को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि 27 अगस्त, 2001 को मंत्रिमंडल ने न्यायमूर्ति खन्ना समिति द्वारा यथा संस्तुत निर्धारित समय-सीमा में रेलों पर परिसंपत्तियों के बदलाव संबंधी बकाया कार्यों के पूरा करने के लिए व्यपगत न होने वाली विशे रेलवे संरक्षा निधि की स्थापना करने का विनिश्चय किया है। इस विशे रेलवे संरक्षा निधि के लिए धन की व्यवस्था दो स्रोतों अर्थात (1) यात्री याताायात पर संरक्षा अधिभार लगाकर रेलवे के अंशदान से और (2) वित्त मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त वित्तीय सहायता के माध्यम से की जाएगी।

यह आशा की जाती है कि संरक्षा अधिभार की वसूली से रेलें मौजूदा वित्त वर्ा सहित 6 वर्षों की अवधि में 5000 करोड़ रुपए जुटाने में सफल होंगी जिसे नव स्थापित व्यपगत न होने वाली विशे रेलवे संरक्षा निधि में जमा कर दिया जाएगा। शे 12000 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था वित्त मंत्रालय द्वारा की जाएगी। चालू वित्त वर्ा में वित्त मंत्रालय इस निधि के लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने के लिए सहमत हो गया है। शे राशि की व्यवस्था आगामी 5 वर्षों के दौरान की जाएगी।

संरक्षा अधिभार एक फ्लैट राशि के रूप में 500 कि.मी. तक की दूरी की यात्रा पर कतिपय अधिभार और 500 कि.मी. से अधिक दूरी की यात्रा के लिए उच्चतर अधिभार के रूप में यात्रा के दर्जे के आधार पर वसूल किया जाएगा। दूसरा दर्जा (साधारण) और दूसरा दर्जा (मेल/एक्सप्रेस) के यात्रियों को क्रमश: एक रुपया और 2 रुपये की दर से भुगतान करना होगा, भले ही यात्रा की दूरी कितनी ही हो। शयनयान श्रेणी में यह अधिभार 500 कि.मी. तक की दूरी के लिए 10 रुपये और 500 कि.मी. से अधिक तक की दूरी के लिए 20 रुपये होगा। वातानुकूल कुर्सीयान और पहले दर्जे में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह अधिभार 500 कि.मी. तक के लिए 20 रुपये और और 500 कि.मी. से अधिक की दूरी के लिए 40 रुपये होगा। वातानुकूल 3 ट्यिर में यह अधिभार 500 कि.मी. तक के लिए 30 रुपये और 500 कि.मी. से अधिक की दूरी के लिए 60 रुपये, वातानुकूल 2 ट्यिर में 500 कि.मी. तक के लिए 40 रुपये और 500 कि.मी. से अधिक की दूरी के लिए 80 रुपये तथा वातानुकूल प्रथम श्रेणी में 500 कि.मी. तक के लिए 50 रुपये और 500 कि.मी. से अधिक की दूरी के लिए 100 रुपये होगा। जहां तक मासिक सीजन टिकटों का संबंध है, यह अधिभार पहले दर्जे के लिए 20 रुपये और दूसरे दर्जे की यात्रा के लिए 10 रुपये होगा। यह अधिभार 1 अक्टूबर, 2001 से लगाया जाएगा।

इस व्यपगत न होने वाली विशे रेलवे संरक्षा निधि के सृजन से रेलें समयबद्ध तरीके से परिसंपत्तियों के बदलाव के अपने बकाया कार्यों को पूरा करने में सफल हो सकेगीं, जिसके परिणामस्वरूप रेल यात्रियों की संरक्षा में पर्याप्त सुधार होगा।

इन बकाया कार्यों की पहचान करने का काम अंतिम अवस्था में है। विस्तारित रेलवे बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित बदलाव संबंधी ये बकाया कार्य ही इस निधि को प्रभारित होंगे और ग्रीन बुक नामक स्वीकृत परियोजनाओं की एक पृथक पुस्तक में समाविट किए जाएंगे।

MR. SPEAKER: The House will now take up the 'Zero Hour'.

...(*Interruptions*)

SHRI SURESH KURUP (KOTTAYAM): Sir, are you allowing a discussion on the statement made by the hon. Minister of Railways?

MR. SPEAKER: No.

...(*Interruptions*)